

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़

पत्रांक: 1514-19

/जि0वि0नि0/2022-23

दिनांक: 14-05-2022

आदेश

वर्तमान में कोविड की संभावित लहर एवं गर्मी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आंगनवाडी केन्द्र एवं प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय का संचालन दोपहर 12:00 बजे तक किया जा रहा है।

जनपद में भीषण गर्मी एवं लू (Heat Strokes) की स्थिति एवं छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये आंगनवाडी केन्द्र एवं प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के परिषदीय/यू0पी0बोर्ड/सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0ई0/अन्य मान्यता विद्यालय में समय से पूर्व ग्रीष्मकालीन अवकाश तत्काल प्रभाव से घोषित किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


जिलाधिकारी
अलीगढ़

प्लान संख्या व तिथि उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अलीगढ़
4. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जनपद अलीगढ़
6. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


जिलाधिकारी
अलीगढ़